

740

प्राप्ति नं.

250

न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद

वाद संख्या : १३/०७-०८

धारा-161 उ.प्र.जमीदारी विनाश अधिनियम

ग्राम डूड़ाहेड़ा

परगना लोनी

तहसील व जिला गाजियाबाद

मै० लिलाक कन्स्ट्रक्शन प्राइलि०

बनाम

मै० एसोटेक रियेल्टी प्रा. लि०

नक्ष्या निर्णय १३/०८ ११-४-२००८

53B

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही मै० लिलाक कन्स्ट्रक्शन प्राइलि० बी-४७ कनाट पैलेस नई दिल्ली द्वारा उप महाप्रबन्धक गीताराम त्यागी पुंत्र श्री दाताराम त्यागी निवासी बी-४७ कनाट प्लेस नई दिल्ली के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक १६-०४-२००७ उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-161 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि इस प्रार्थना पत्र के संलग्नक के पैरा-१ में वर्णित भूमि का प्रार्थी प्रथम पक्ष संकमणीय भूमिधर खातेदार है। प्रथम पक्ष इस भूमि को द्वितीय पक्ष को विनिमय में देना चाहता है। इस प्रार्थना पत्र के संलग्नक के पैरा-२ में वर्णित भूमि के द्वितीय पक्ष संकमणीय भूमिधर खातेदार है। इस भूमि को प्रथम पक्ष विनिमय में लेना चाहता है। उ० प्र० शासन की प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जित एवं विकास की नीति के अन्तर्गत उक्त दोनों पक्षों ने ग्राम डूड़ाहेड़ा परगना लोनी में स्थित आवासीय योजनाओं के विकास हेतु भूमि अर्जित की है। उ०प्र० शासन की उक्त नीति के सुनियोजित कियान्वन के लिए यह वाद पारस्परिक विनिमय आवश्यक है। दोनों पक्ष इस पारस्परिक विनिमय के लिए पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि के लगानी मूल्य तथा विनिमय में ली जाने वाली भूमि के लगानी मूल्य में १० प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं है। विनिमय की जाने वाली भूमि किसी को पट्टे पर या बंधक नहीं है, और न ही इस पर अन्य कोई भार है। वादी द्वारा उद्वरण खतौनी १४०८ ता १४१३ फसली ग्राम डूड़ाहेड़ा खाता संख्या २२९३, २२४२ ७०५, २१४, २१२ दाखिल की गयी है।

वादी का प्रार्थना पत्र जाँच हेतु तहसीलदार गाजियाबाद को भेजा गया के परिप्रेक्ष्य में जॉच तहसीलदार द्वारा की गयी। तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा अपनी आख्या जो उ.प्र.ज.वि.एवं भू.व्य.अधि. की धारा-161 के अनुसार बिना विहित प्रारूप दिनांक रहित प्रस्तुत की गयी। तहसील आख्या में कहा गया कि लेखपाल के पास उपलब्ध जिल्द बन्दोबस्ती से प्रश्नगत खसरा संख्याओं की किश्म जमीन के अनुसार उनका परता रेट ज्ञात किया गया। दोनों पक्षों की भूमियों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया है। ग्राम डूड़ाहेड़ा की भूमि जो प्रथम पक्ष की संकमणीय भूमिधरी है, तथा विनिमय द्वारा द्वितीय पक्ष को मिलनी है, के खसरों का विवरण:-


मै० लिलाक कन्स्ट्रक्शन प्राइलि०

वर्तमान खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किश्म जमीन	लगानी दर प्रति वीघा	लगानी दर प्रति हैक्टेयर	लगानी मूल्यांकन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	10
2293	917	0.0430	सेवटा दोयम		10.74	0.46182	विनिमय मालियत
2242	895	0.0456	खादर दोयम		1.38	0.062928	अन्तर 10 % से कम है।
705	947/1	0.0690	सेवटा सोयम		9.52	0.65688	
योग		0.1576				1.181628	

ग्राम डूड़ाहेड़ा की भूमि जो द्वितीय पक्ष की संकमणीय भूमिधरी है तथा विनिमय द्वारा प्रथम पक्ष को भूमि मिलनी है, के खसरों का विवरण:-

मै० एसोटेक रियेल्टी प्रा. लि०

वर्तमान खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किश्म जमीन	लगानी दर प्रति वीघा	लगानी दर प्रति हैक्टेयर	लगानी मूल्यांकन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	10
214	1266	0.0250	सेवटा अब्ल		14.50	0.3625	विनिमय मालियत
212	1703	0.0520	सेवटा अब्ल		14.50	0.7540	अन्तर 10 % से कम है।
योग		0.0770				1.1165	



प्रथम पक्ष का लगानी मूल्यांकन	1.1816
द्वितीय पक्ष का लगानी मूल्यांकन	1.1165
	0.0651
अन्तर	5.83 %

% मूल्यांकन


उपरोक्त तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य किये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है। दोनों पक्ष उक्त भूमियों संकमणीय भूमिधर हैं। इसलिए धारा 161 ज0विं०३० के अन्तर्गत आवेदक की भूमि का विनिमय किये जाने की संस्तुति सहित आख्या सेवा में प्रेषित की गयी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर गाजियाबाद विकास प्राधिरण गाजियाबाद व नगर निगम गाजियाबाद को न्यायालय के पत्र संख्या 2039/अहलमद-राजस्व /उ०जि०/२००८ दिनांक ३-३-२००८ के द्वारा उपरोक्त नम्बरान के विनिमय के सम्बन्ध में आपत्ति/आख्या नियत दिनांक तक उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिरण गाजियाबाद की ओर से दिनांक १९.४.२००८ को अपनी लिखित आपत्ति दाखिल की गयी जिसमें कहा गया कि वादी द्वारा गैर कृषि /आवासीय उपयोग गूँगी को विनिमय का प्रार्थना पत्र दिया गया है जो विधि विरुद्ध है। आपत्ति के अन्त में वाद को गूँगी को विनिमय का प्रार्थना पत्र दिया गया है जो विधि विरुद्ध है। आपत्ति के अन्त में वाद को गूँगी को विनिमय का अनुरोध किया गया। नगर निगम गाजियाबाद की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं एवं नामिका वकील राजस्व के द्वारा प्रस्तुत विद्वता पूर्ण तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्षों का परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसील आख्या से स्पस्ट है कि ग्राम छूँडाहेड़ा की प्रश्नगत भूमि वादी/प्रतिवादी की संकमणीय भूमिधरी भूमि है, एवं दोनों पक्षों के मध्य किये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगानी भूमि है, एवं दोनों पक्षों के मध्य किये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के अनुसार भूमि है, एवं दोनों पक्षों के मध्य किये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित भूमियों के लगानी मूल्य में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है, यूकि ज०विं०३० की धारा 161 के प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त विनिमय के लिए प्रस्तावित भूमियों के लगानी मूल्य में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है इसके अतिरिक्त तहसील की जांच आख्या में उपरोक्त भूमि का विनिमय किये जाने की संस्तुति की गयी है अतः किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्षों के आधार पर वादी का तथा किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्षों के आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि को विनिमय किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी मै० लिलाक कन्स्ट्रक्शन प्राठिल० बी-४७ कनाट पैलेस नई दिल्ली द्वारा के ग्राम छूँडाहेड़ा के खाता संख्या 2293 के खसरा नम्बर 917 रक्बा 0.0430 खाता संख्या 2242 खसरा नम्बर 895 रक्बा 0.0456 खाता नम्बर 705 खसरा नम्बर 947/1 रक्बा 0.0690 हैवटेयर लगानी उक्त की भूमि का प्रतिवादी मै० एसोटेक रियेल्टी प्रा. लि० के खाता संख्या 214 0.0250 खाता नम्बर 212 खसरा नम्बर 1703 रक्बा 0.0520 हैवटेयर के खसरा नम्बर 1266 रक्बा 0.0250 खाता नम्बर 212 खसरा नम्बर 1703 रक्बा 0.0520 हैवटेयर लगानी उक्त से विनिमय स्वीकार किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार गाजियाबाद को इस लगानी उक्त से विनिमय स्वीकार किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार गाजियाबाद को इस अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। पत्रावली बाद आवश्यक पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे दिनांक १५.८.२००८



(प्रियांका सिंह)
उप जिलाधिकारी/
सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)

गाजियाबाद
यात्रा कार्यालय

यह निर्णय व आदेश आज दिनांकित एवं दस्ताखरित कर न्यायालय की मुद्रा सहित खुले न्यायानय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक: १५.८.२००८

(प्रियांका सिंह)
उप जिलाधिकारी/
सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)
गाजियाबाद

जकल कार्यालय

स्टाम्प खंपये १५.८.०८
प्रथमांक देने की दिनांक १५.८.०८
नकल तंथारी की दिनांक १५.८.०८
चकल देने की दिनांक १५.८.०८

तुलना कार्यालय

सत्यप्रतिलिपि

Ram Singh
राजस्व अभिलेखकार ७-१०१
पलेक्टर गाजियाबाद